



## म०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

कमांक / म.प्र.आ.वि.वि. / अकादमिक / 2019 / 1893-A

जबलपुर, दिनांक 28/06/2019

### अधिसूचना

मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा Ph.D. सत्र 2019-20 प्रवेश प्रक्रिया में परीक्षा में योग्य उम्मीदवारों की सूची दिनांक 21 जून 2019 को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी की गई थी, इसी तारतम्य में सभी योग्य Ph.D. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है, कि Ph.D. प्रवेश की आगामी प्रक्रिया कार्यशील (In process) है। विभिन्न संकायों के Dean, Hod's, Guides की उपलब्धता के आधार पर निकट भविष्य में Research Advisory Committee द्वारा निर्धारित टाइम टेबल अनुसार Interview का आयोजन किया जाएगा। कृपया वेबसाइट नियमित रूप से अवलोकित करते रहे।

इस अवधि में समस्त अभ्यर्थी, महाविद्यालय एवं Guides अपने अद्यतन (updates) निम्नलिखित दस्तावेज विश्वविद्यालय को भेजे।

1. समस्त योग्य Ph.D. एवं Inservice/Eligible Teacher आवेदकों हेतु :- NOC of HOD, Experience certificate, Cast certificate and Domicile certificate.
2. Guide हेतु :- वर्तमान पदस्थापना एवं योग्यता जो उन्होंने आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय घोषित की थी, उसमें यदि कोई परिवर्तन हुआ है, उसके दस्तावेज।
3. संबंधित महाविद्यालय :- सत्र 2019-20 की मान्यता स्थिति एवं यदि किसी पूर्व में recognized guide का स्थांतरण या त्यागपत्र स्वीकृत हुआ है, तो सूचित करें।

सभी Document अंतिम निर्णय हेतु Ph.D. Board of Research, The Academic Council and Finally Executive Council में स्वीकृत होने के पश्चात् ही मान्य होंगे। तदुपरोक्त सभी मान्य आवेदकों का updated status बनाया जायेगा, जो 3 वर्ष के लिए लागू होगा। विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुसार Result घोषित होने के 90 दिवस में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होना निर्धारित है। संबंधित व्यक्तियों व संस्थाओं को सूचित किया जाता है, कि सभी नवीनतम दस्तावेज दिनांक 03-07-2019 तक ई-मेल से भेजे, ताकि इंटरव्यू के समय अद्यतन (update) रिकॉर्ड उपलब्ध रहे।

प्राप्त ई-मेल को संज्ञान में लेते हुए स्पीड पोस्ट यदि बाद में भी प्राप्त होता है, तो भी उन्हें मान्य किया जायेगा। परंतु स्पीड-पोस्ट भी अधिकतम 05/07/2019 तक विश्वविद्यालय में प्राप्त होना सुनिश्चित करें। पर स्पष्ट किया जाता है कि यदि Ph.D. हेतु स्वीकृत या मान्यता प्राप्त करने पर यदि किसी संस्थान/छात्र/गाइड/के विषय में विपरीत पुष्ट जानकारी प्राप्त होती है अथवा कभी भी उनके द्वारा दी गई जानकारी अमान्य पाई जाती है तो स्वीकृति/मान्यता नियमानुसार कार्यवाही के पश्चात् समाप्त की जा सकती है।

(माननीय कुलपति जी द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव

म०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 28/06/2019

पृ. कमांक / म.प्र.आ.वि.वि. / अकादमिक / 2019 / 1893-A  
प्रतिलिपि सूचानार्थ:-

- 1 कुलपति / कुलसचिव कार्यालय म०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर
- 2 परीक्षा नियंत्रक कार्यालय म०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर

कुलसचिव

म०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय  
जबलपुर